<u>-दो-</u>

उत्तर प्रदेश सरकार वित्त (स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन) अनुभाग संख्या—एस0आर0—2365 / 11—96—500(12)—1989 लखनऊ, दिनांक 9 अगस्त, 1996 अधिसूचना

<u>अधिसूचना</u> आदेश स्टाम्प

प0आ0-309

साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (अधिनियम संख्या 10 सन् 1897) की धारा 21 के साथ पिठत उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में समय—समय पर यथासंशोधित भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (अधिनियम संख्या 2 सन् 1899) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके और सरकारी अधिसूचना संख्या एस0आर0—1143/दस—500 (12) 89, दिनांक 06 मई, 1989 का अतिक्रमण करके राज्यपाल इस अधिसूचना के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से 45,000 रुपये (पैंतालिस हजार रुपये) से अनिधक राशि उधार लेने या अन्य वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिये नियोजित प्रत्येक लिखत पर (जिसके अन्तर्गत कोई बन्धक, प्रभार, दृष्टिबन्धन (हाईपोथिकेशन) या प्रतिभुओं द्वारा निष्पादित दस्तावेज भी है, जहां ऐसा लिखत किसी कृषक द्वारा कृषि सम्बन्धी किसी क्रियाकलाप के प्रयोजनार्थ किसी बैंक के पक्ष में निष्पादित किया जाय, प्रभार्य स्टाम्प शुल्क से छूट देते हैं।

स्पष्टीकरण–एक

इस अधिसूचना के प्रयोजनार्थ, पद ''कृषक'' का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो निम्नलिखित समस्त या किसी क्रिया—कलाप, जिसे ''कृषि सम्बन्धी क्रिया—कलाप'' समझा जायेगा, लगा हो, अर्थात्ः—

- (1) भूमि को खेती योग्य बनाना ;
- (2) खेती करना ;
- (3) भूमि सुधार ;
- (4) सिंचाई के श्रोतों, का विकास करना ;
- (5) फसलों को उगाना और उनकी कटाई करना ;
- (6) उद्यान कृषि ;
- (7) वन विज्ञान ;
- (8) पशु प्रजनन ;
- (9) पशुपालन ;
- (10) दुग्ध उद्योग ;
- (11) शूकर पालन ;
- (12) कुक्कुट पालन ;
- (13) बीज-कृषि ;

- (14) मत्स्य पालन ;
- (15) मधुमक्खी पालन ;
- (16) रेशम उत्पादन ;
- (17) ऐसे क्रिया—कलाप जिन्हें सामान्यतः उपरि उल्लिखित क्रिया—कलापों में से किसी में लगे हुए व्यक्तियों द्वारा किया जाता हो ;
- (18) कृषि उत्पादन का क्रय-विक्रय, उनका संग्रहण और परिवहन, और
- (19) ऐसे किसी भी क्रिया—कलाप से सम्बन्धित उपकरणों और मशीनरी का अर्जन। स्पष्टीकरण—दो

इस अधिसूचना में पद ''बैंक'' का तात्पर्य निम्नलिखित से है:-

- (एक) बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 में यथापरिभाषित बैंककारी कम्पनी ;
- (दो) भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 के अधीन संघटित भारतीय स्टेट बैंक ;
- (तीन) भारतीय स्टेट बैंक (समनुषंगी बैक) अधिनियम, 1959 में यथापरिभाषित समनुषंगी बैंक ;
- (चार) बैककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन और अन्तरण) अधिनियम, 1970 के अधीन संघटित तत्वमान कोई नया बैंक ;
- (पांच) उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1965 में यथा परिभाषित वित्त पोषित बैंक या केन्द्रीय बैंक और उत्तर प्रदेश राज्य सहकारी कृषि एवं ग्राम्य विकास बैंक अधिनियम, 1964 में यथा परिभाषित उत्तर प्रदेश राज्य सहकारी कृषि एवं ग्राम्य विकास बैंक लिमिटेड,
- (छः) उत्तर प्रदेश स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रियल कारपोरेशन लिमिटेड, जो कम्पनी अधिनियम, 1956 के अधीन निगमित है, और
- (सात) एग्रीकल्चरल फाइनेन्स कारपोरेशन लिमिटेड ,जो कम्पनी अधिनियम, 1956 के अधीन निगमित है।

आज्ञा से, ह0अस्पष्ट वी0के० दीवान, प्रमुख सचिव।

The Governor is pleased to order the publication of notification of the following English translation of Government Order no. SR-2365/11-96-500(12)-1989 dated August 29, 1996, for general information.

No. SR-2365/11-96-500(12)-1989 Lucknow, Dated August 29, 1996 Notification Order

In exercise of the powers nuder clause (a) of sub-section (1) of section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (Act no. 11 of 1899) as amended from time to time in its application to Uttar Pradesh, read with section 21 of the General Clauses Act 1897 (Act no. X of 1897) and in supersession of Government notification no. SR 1143/X-500 (12)/89 dated May 6, 1989, the Governor is pleased to remit, with efect from the date of publication of this notification in the Official Gazette, the stamp duty chargeable on every instrument employed for obtaining loan or other financial assistance (including a mortgage, charge,

hypothecation or documents exceuted by (sureties) for a sum not exceeding Rs. 45,000 (Rupees forty five thousand) where such instrument is executed by an agriculturist in favour of Bank for purposes of an agricultural activity.

Explanation-I

For the purposes of this notification, the expression "agriculturist" means a person who is engaged in all or any of the following activities, which shall be deemed to be "agricultural activities", namely:-

- (1) Making land fit for cultivation;
- (2) Cultivation of land;
- (3) Improvemet of land;
- (4) Development of sources of irrigation;
- (5) Raising and harvesting of crops;
- (6) Horticulture;
- (7) Forestry;
- (8) Cattle breading;
- (9) Animal husbandry;
- (10) Dairy farming;
- (11) Piggery;
- (12) Poultry farming;
- (13) Seed farming;
- (14) Pisciculture;
- (15) Apiculture;
- (16) Sericulture;
- (17) Activities as are generally carried on by persons engaged in any of the aforementioned activities :
 - (18) Marketing of agricultural products, their storage and transport; and
- (19) The acquisitior of implements and machinery in connection with any such activity.

Explanation-II

The expression "Bank" in this notification means-

- (i) a Banking company, as defined in the Banking Regulation Act, 1949;
- (ii) the State bank of India constituted under the State Bank of India Act, 1955;
- (iii) a subsidiary Bank, as defined in the State Bank of India (Subsidiary Banks) Act, 1959;
- (iv) a corresponding new bank constituted under the Banking Companies (Acqusition and Transfer of Undertakings) Act, 1970;
- (v) a Financing Bank or Central Bank, as defined in the Uttar Pradesh Co-operative Societies Act, 1965 and the Uttar Pradesh Rajya Sahkari Krishi Evam Gramya Vikas Bank Limited, as defined in the Uttar Pradesh Rajya Sahakari Krishi Evam Gramya Vikas Bank Act, 1964;
- (vi) The U.P. State Agro-Industrial Corporation Limited incorporated under the Companies Act, 1956; and
- (vii) the Agricultural Finance Corporation Limited incorporated under the Companies Act, 1956.

Pramukh Sachiv.